

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-40 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ददू सिंह पुत्र राज नरायण सिंह नि० गौरिहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-४/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधेश्याम पुत्र रामफेर नि० पेड़राही थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-१८/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कल्लू सोनकर पुत्र बड़कऊ सोनकर नि० महुआडीह असरफपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-६/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मनोज सिंह पुत्र अमर सिंह नि० सदियापुर मौजा बालपुर जाट थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे 15 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 350 ग्राम नौसादर, 350 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-६०/६३ आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अमरेश पुत्र किशोरी लाल नि० परेड सरकार थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२०/२१, 02. नरेन्द्र पुत्र भगीरथ नि० वैरागी पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-२१/२१ धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

200 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पप्पू उर्फ पप्पू मिस्त्री पुत्र बलिस्टर वर्मा निर्दल उपरहितिन पुरवा जानकी नगर थाना कोनगर जनपद गोणडा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मुआवासन— 17/21, धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोनगर जनपद गोणडा।

बरामदगी—

01. 200 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07/08.01.2020 की रात्रि को थाना कोनगर के उनियो सर्वजीत गुप्ता मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखिबर खास की सूचना पर अम्बेडकर चौराहे के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोनगर में एनडीपीएस एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उनियो सर्वजीत गुप्ता।
02. कांसंजय कुमार।